

कार्यालय कलेक्टर जिला ई गवर्नेस सोसाइटी बिलासपुर (छ.ग.)

चिन्हांकित आधार केंद्र में कार्य करने हेतु आवेदन प्रक्रिया

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेण्टर सिविल लाइन्स रायपुर के पत्र क्रमांक 193/CEO/CHiPS/ आधार/2025 Raipur Date 07.05.2025 एवं पत्र क्रमांक 633/समुकाअ/चिप्स/आधार/2026 रायपुर दिनांक 31/07/2026 के निम्न शासकीय स्थानों पर ही आधार पंजीयन केन्द्रों का संचालन किया जाना है, अतः जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी बिलासपुर द्वारा निम्न स्थान हेतु आधार कार्य करने के लिए आवेदन कार्यालय, बंद लिफाफे में कलेक्टर जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी बिलासपुर में कार्यालयीन समय में दिनांक 16.09.2026 से 30.09.2026 तक किया जा सकता है।

क्षेत्र	संख्या
जनपदपंचायत बिल्हा	3
जनपद पंचायत कोटा	8
जनपद पंचायत तखतपुर	3
जनपदपंचायत मस्तूरी	6
कुल	20

उपरोक्त किट की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है एवं उक्त जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु आधार किट संचालक हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र प्रदाय करने का निर्णय एवं जिले में शासकीय कार्यालय में आधार ऑपरेटर की कार्य अनुमति चयन मापदंड के आधार पर करने का अंतिमनिर्णय “कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी बिलासपुर” का होगा।

आधार केंद्र संचालक हेतु अहर्ताएं:

1. शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट/सेकेंडरी) या 2 वर्ष ITI (10+2) या 3 वर्ष डिप्लोमा (10+3) उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र/अंक सूचि (स्व हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र/अंक सूचि प्रति लगाया जाना होगा)
2. 1 जुलाई 2026 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो। (आयु प्रमाण के संबंध में शैक्षणिक अंकसूचि/जन्म प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति लगाया जाना होगा)
3. बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक होगा जिस हेतु कंप्यूटर से सम्बंधित वैध प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा न्यूनतम एम.एस.ऑफिस, डिग्री/डिप्लोमा मान्य होगा।
4. UIDAI के नवीन दिशा निर्देश अनुसार NSEIT से वैध आधार सुपरवाइज़र/ऑपरेटर का प्रमाणपत्र होना आवश्यक होगा।
5. एनरोलमेंट एजेंसी (कोड-2084,4082) से आधार सुपरवाइज़र/ऑपरेटर परीक्षा प्रमाण पत्र धारक आवेदन हेतु पात्र होंगे एवं उक्त जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

11/09/26

6. आधार केंद्र संचालन हेतु स्वच्छ छवि होना आवश्यक है - इस हेतु सम्बंधित थाने से ऑपरेटर को कोई अपराधिक रिकॉर्ड दर्ज न होने का चरित्र प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो कार्य अनुमतिके पूर्व सम्बंधित पुलिस थाने से जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. शासकीय निर्देशों की अवहेलना पर जिला कार्यालय या किसी अन्य शासकीय संस्था द्वारा सेवा/कार्य से पृथक न किया गया हो।
8. जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी चयन पश्चात आधार पंजीयन केंद्र के शासकीय कार्य स्थल में परिवर्तन हेतु निर्णय ले सकेगी।
9. आधार केंद्र संचालन हेतु आवेदक का बिलासपुर जिले का निवासी होना आवश्यक है, तत्सम्बंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
10. जिले में जिन आधार संचालकों को UIDAI द्वारा उल्लेखित पेनाल्टी राशि का भुगतान एनरोलमेंट एजेंसी चिप्स को खाता क्रं CEO CHIPS RAIPUR, SBI BANK ACCOUNT NO. 44117532197 IFSC SBIN0004286 में कर दिया गया है, उनको भुगतान की गई राशि की रसीद आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगी। यदि उक्त राशि का भुगतान न किया गया हो तो आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। यदि चयन उपरांत यह पाया जाता है कि ऑपरेटर के विरुद्ध पेनाल्टी राशि लंबित हो तो संबंधित चयनित ऑपरेटर को पेनाल्टी राशि भुगतान कर कर रसीद प्रस्तुत किया जाना होगा।

चयन मानदंड :

- बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक होगा जिस हेतु कंप्यूटर साक्षरता से सम्बंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। न्यूनतम एम.एस.ऑफिस, अथवा डिग्री/डिप्लोमा भी मान्य होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शासकीय कार्यालय में कार्यरत आधार केंद्र संचालक को कार्य अनुभव एवं संतुष्टि प्रमाणपत्र सम्बंधित कार्यालय प्रमुख से ले कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं प्राइवेट कार्यालय कार्य अनुभव मान्य नहीं होगा। प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर 2 अंक अधिकतम 20 अंक। अनुभव की गणना कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाएगी, न्यूनतम 6 माह के अनुभव हेतु 1 अंक प्रदाय किया जा सकेगा, 6 माह से कम अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा। (उदा० 1 वर्ष 5 माह के अनुभव को 1 वर्ष का अनुभव माना जाएगा एवं 1 वर्ष 11 माह के अनुभव को 1 वर्ष 6 माह का अनुभव मान कर गणना की जाएगी)
- यदि ऑपरेटर की आई डी कार्य अवधी दौरान बंद हुई हो तो ऑपरेटर को उक्त अवधी को छोड़ कर अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- अहर्ता एवं मानदंड पूर्ण करते हुए सर्वाधिक अनुभव धारणकर्ता आधार ऑपरेटर को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- उपरोक्त उल्लेखित जानकारी अस्पष्ट/अपूर्ण/त्रुटीपूर्ण होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा एवं त्रुटीपूर्ण जानकारी की स्थिति में विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण पश्चात प्राप्त अंक अनुसार जनपद पंचायत स्तर पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, मेरिट सूची अनुसार प्राथमिकता के क्रम में पूर्व से कार्यरत ऑपरेटर को उसकी इच्छानुसार उसी कार्यस्थल के लिए कार्य अनुमति में प्राथमिकता दी जाएगी तत्पश्चात शेष

81
11/09/26

रिक्त स्थल के लिए मेरिट सूची अनुसार काउंसलिंग कर आवेदक के कार्यस्थल चयन अनुसार कार्य अनुमति दी जाएगी।

चयनित आधार केंद्र संचालक हेतु सेवा शर्तें:

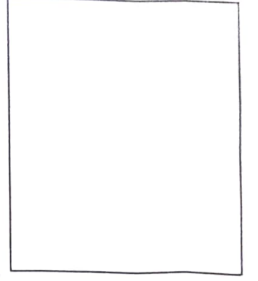
1. चयनित आधार केंद्र संचालक को इस कार्यालय से किसी भी प्रकार का वेतन देय नहीं होगा केवल कार्यालय चिप्स स्टेट डाटा सेण्टर सिविल लाइन्स रायपुर के पत्र क्रमांक 193/CEO/CHiPS/ आधार/2025 Raipur Date 07.05.2025 के बिंदु क्रं 6 के अनुसार सेवा शुल्क आम नागरिकों से लिया जाना होगा।
2. चयनित आधार केंद्र संचालक को एक लाख पचास हजार रूपए का Security Deposit "कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर" के नाम से DD के रूप में जमा करना होगा।
3. चयनित आधार केंद्र संचालक को जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध करना होगा।
4. चयनित आधार केंद्र संचालक को चिप्स कार्यालय रायपुर द्वारा प्रदाय उपकरण के सुरक्षापूर्वक रख रखाव, एवं आवश्यक होने पर मरम्मत कराया जाना होगा साथ ही आधार कार्य/सेवा समाप्ति उपरान्त समस्त उपकरण चालू हालत में सूचीबद्ध करते हुए कार्यालय को वापस सौंपने की पूर्ण ज़िम्मेदारी ऑपरेटर की होगी। अन्यथा स्थिति में लागत मूल्य की वसूली, लागत मूल्य अथवा बाज़ार दर पर जो अधिक हो, सम्बंधित आधार केंद्र संचालक की अमानत राशि से कटौती की जाएगी तथा अतिरिक्त राशि राजस्व राशि वसूली की भाँति की जा सकेगी (कोई पेनाल्टी होने पर या AEK क्षतिग्रस्त होने पर SD से राशि काटी जाएगी)।
5. चयनित आधार केंद्र संचालक को चिप्स, जिला कार्यालय एवं शासन द्वारा जारी समस्त नियम, निर्देशों, अनुबंध का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा शिकायत की स्थिति में जांच सही पाए जाने पर कार्य अनुमति आदेश निरस्त/ कार्य सेवा समाप्त किया जा सकेगा।
6. चयनित आधार केंद्र संचालक स्वेच्छा से एक माह पूर्व सूचना दे कर एवं प्रदाय उपकरण चालू हालत में वापस कर आधार केंद्र संचालन समाप्त कर सकेगा।
7. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर द्वारा एक माह पूर्व नोटिस दिया जा कर आधार केंद्र संचालन समाप्त किया जा सकेगा।
8. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय "कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर" का होगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आधार ऑपरेटर कार्य हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला ई गवर्नेंस समिति
जिला बिलासपुर (छ.ग.)



1. आवेदित विकासखण्ड का नाम :
2. आवेदित कार्यालय की प्राथमिकता क्रम: 1..... 2.....
3..... 4.....
3. आवेदित पद का नाम :
(वर्तमान कार्यक्षेत्र जिस विकासखण्ड में है आवेदन उसी विकासखण्ड से किया जावे)
4. आवेदक का पूरा नाम (हिंदी में) :
आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी कैपिटल लेटर में) :
5. पिता/पति का नाम :
6. जन्मतिथि (अंकों में) :
(शब्दों में) :
(जन्म तिथि के सत्यापन हेतु शैक्षणिक अंकसूची अथवा जन्म प्रमाणपत्र संलग्न करें)
7. आयु(दिनांक 01/07/2026 की स्थिति में): वर्ष..... माह..... दिवस.....
8. लिंग (महिला/पुरुष) :
9. वैवाहिकस्थिति(विवाहित/अविवाहित):
10. स्थाई पता :
.....
11. पत्र व्यवहार का पता :
.....
- मोबाइल नंबर :
- ई मेल आई.डी.:
12. बिलासपुर जिले का मूल निवास(हाँ/नहीं) :
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाणपत्र संलग्न करें)
13. आधार सर्टिफिकेट नंबर :

वैधता अवधि :

14. आधार पंजीयन कार्य में ऑपरेटर सस्पेंड हुआ है क्या -हाँ/नहीं

यदि हाँ तो और किस कारण से सस्पेंड हुआ था जानकारी.....

15.UIDAI द्वारा अर्थदण्ड आरोपित – हाँ/नहीं :

यदि हाँ तो, दण्डशुल्क/पेनाल्टी राशि का विवरण

डी.डी. नंबर/नेटबैंकिंग/अन्य माध्यम.....

ट्रांसेक्शन नंबर का विवरण :

दिनांक राशि बैंक का नाम.....

16. संबंधित थाना से प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्रसंग्र (हाँ/नहीं)

17.शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	प्रतिशत (%)
10 वीं			
12 वीं			
2 वर्ष ITI (10+2)है तो			
3 वर्ष डिप्लोमा/डिग्री(10+3)			
कंप्यूटर ज्ञान सम्बंधित प्रमाणपत्र (डिप्लोमा/डिग्री)			

उपरोक्त शैक्षणिक व अन्य योग्यता संबंधित प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संग्र करना अनिवार्य है।

कार्यानुभव मापदण्ड के अनुसार :

18. आवेदन पत्र के साथ आवेदित पद में उल्लेखित अनिवार्य समस्त दस्तावेजस्व प्रमाणित कर संग्र करें एवं नीचे संग्र दस्तावेजों का विवरण भरें :

1.2.....
3.4.....
5.6.....
7.8.....
- 9.....10.....

टीप:- आवेदन पत्र समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए। लिफाफे के ऊपर "आधार ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र" अनिवार्यतः अंकित हो। अपूर्ण एवं बिना दस्तावेज संलग्न किए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

स्व-घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पात्रता एवं उक्त पद हेतु उपबंध एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य पाए जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं मुझे कोई सूचना दिए बिना मेरी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पता)